

भाग-V

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव, अथवा सरकार के किसी प्राधिकृत अधिकारी को अवर सचिव, के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाता है)

18. राज्य सरकार की सिफारिश.....
या भाग-3 या भाग-4 में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों.....
की जाय)।.....

Recommended for approval

(उपर्युक्त भाग-2

पर विशिष्ट टिप्पणी

दिनांक :-
स्थान :-

25/4/18
Lucknow

हस्ताक्षर
नाम.....
सरकारी मोहर.....

Ok

डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
3090, लखनऊ